



उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष 2008 के प्रथम सत्र में

श्री बी० एल० जोशी

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण



देहरादून, सोमवार, 03 मार्च, 2008 (फाल्गुन 13, शक सम्वत् 1929)

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा के वर्ष 2008 के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल श्री बी०एल० जोशी का अभिभाषण

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री एवं विधानसभा के माननीय सदस्यगण !

उत्तराखण्ड राज्य के सभी सम्मानित नागरिकों का मैं अभिवादन करता हूँ। मेरी सरकार उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य बनाने की ओर अग्रसर होते हुये पारदर्शी, जनता के प्रति समर्पित शासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है।

1. उत्तराखण्ड राज्य गठन का उद्देश्य इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान के अनुरूप समन्वित विकास करना, पलायन रोकने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना, सभी क्षेत्रों में सम्मान के साथ मातृशक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार रहित शासन प्रशासन चलाना, देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप स्वच्छ एवं भयमुक्त समाज की स्थापना करना, राज्य के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना तथा उत्तराखण्ड को देश के आदर्श प्रदेश के रूप में स्थापित करना था।

2. मेरी सरकार ने विगत वर्ष जनता की मूलभूत आवश्यकताओं यथा-जल-विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास और संचार आदि को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से पहल की है। इस अल्प अवधि में ही शिक्षा, पुलिस, महिला कल्याण, पशुपालन, स्वास्थ्य आदि विभागों में व्यापक पैमाने में नई नियुक्तियां तथा पदोन्नतियों की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। पेंशन योजना का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को दिये जाने का प्रयास किया गया है। बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा हेतु गौरा देवी कन्याधन योजना प्रारम्भ की गई है। आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

3. मेरी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप विकासोन्मुखी लोकहितकारी कार्यों के क्रियान्वयन में पूर्ण तत्परता दिखाई है। चुस्त-दुरुस्त प्रशासन और स्वच्छ शासन के चलते जनहित में लिये जा रहे निर्णयों के कारण सरकार के प्रति जनता की आस्था बढ़ी है।

4. मेरी सरकार ने—

- पारदर्शी, संवेदनशील शासन-प्रशासन की स्थापना के लिए, अधिकारियों की निर्धारित मुख्यालय से बाहर अन्य स्थानों पर शिविर कार्यालयों की व्यवस्था समाप्त की है और जन शिकायत एवं सुझाव प्रकोष्ठ की स्थापना की है;
- राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पुलिस सुधार को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया है;
- कतिपय सरकारी सेवाओं में पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में किये जाने की व्यवस्था की है तथा साक्षात्कार की व्यवस्था को समाप्त किया है;
- भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त पर रोक लगाकर कृषि भूमि को बचाने का सफलतम प्रयास किया है;
- मदिरा व्यापार में एकाधिकार को समाप्त किया है;
- पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने की पहल की है;
- उत्तराखण्ड के नैसर्गिक सौन्दर्य तथा साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है;
- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, एम्स की ऋषिकेश शाखा, दिल्ली में उत्तराखण्ड से संदर्भित रोगियों के परिचरों को रहने हेतु विश्राम गृह, देहरादून में 200 (दो सौ) शैया युक्त गाँधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केन्द्र, राजकीय नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के प्रयास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास किया है;

- राज्य कर्मचारियों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता, वेतन विसंगति के प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण, पदोन्नति के लिए विभिन्न सेवा संवर्गों की सेवा नियमावलियां तैयार करने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया है;
- कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी यात्रियों को 25 (पच्चीस) आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है।

5. मेरी सरकार की प्राथमिकताएं हैं –

- पर्वतीय क्षेत्रों से निरन्तर हो रहे पलायन को रोकने के उद्देश्य से रोजगार के अवसरों में विशेष रूप से वृद्धि करना,
- राज्य की विकास दर की वृद्धि बनाये रखना,
- पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना,
- राज्य के नागरिकों के जीवनस्तर को सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक सेवाओं (Social Sector), आर्थिक सेवाओं एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना,
- राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य संतुलित विकास के दृष्टिकोण से, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के उत्थान के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सामन्जस्य स्थापित करना,
- राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समुचित प्रयास करना,
- राज्य द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रदत्त सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सामाजिक समरसता स्थापित करना।

6. मेरी सरकार राज्य में वित्तीय अनुशासन कायम करते हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए कटिबद्ध है। सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी और राजस्व सरप्लस सृजित करते

हुए राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रखना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के अपने कर एवं करेत्तर राजस्व में वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्य का सुदृढीकरण किया जायेगा ताकि राजस्व संग्रहित कर, बाह्य सहायतित परियोजनाओं तथा केन्द्र सहायतित परियोजनाओं से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयास कर योजना व्यय को बढ़ाया जा सके।

7. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, मनोरंजन कर आदि में प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं कर की दरों की विसंगति दूर करने के लिये प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। राजस्व संग्रह से सम्बंधित विभागों के कम्प्यूटरीकरण करने की दिशा में विशेष प्रयास किये जायेंगे। राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु भी विशेष प्रयास करने का लक्ष्य है। विगत वर्षों में राज्य की ऋणग्रस्तता में तीव्र वृद्धि हुई थी, जिसे देखते हुए योजनाओं को वित्त पोषण के लिये अपेक्षाकृत कम ऋण लिए जाने का प्रस्ताव है ताकि ऋणग्रस्तता में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निरन्तर कमी लाई जा सके।

8. वर्तमान परिवेश में किसी भी राष्ट्र एवं राज्य के विकास हेतु ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरी सरकार राज्य को इस दिशा में स्वावलम्बी बनाये जाने, राज्य की आय में वृद्धि करने, तीव्रगति से औद्योगिकरण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोके जाने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

9. मेरी सरकार द्वारा जल शक्ति का उपयोग करते हुये विद्युत उत्पादन हेतु 25000 (पच्चीस हजार) मेगावॉट से भी अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनायें चिन्हित कर अन्य क्षेत्रों में चिन्हांकन, विकास तथा मार्केटिंग किये जाने हेतु संयुक्त उपक्रम "उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी (प्रा० लि०)" का भी गठन किया गया है।

10. राज्य में चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं में से अद्यतन लगभग 2800 (दो हजार आठ सौ) मेगावॉट क्षमता की परियोजनायें स्थापित की जा चुकी हैं तथा लगभग 13000 (तेरह हजार) मेगावॉट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का विकास विभिन्न केन्द्रीय उपक्रमों, राज्याधीन उपक्रम तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नेपाल बार्डर पर

पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना क्षमता लगभग 6000 (छः हजार) मेगावॉट की स्थापना हेतु भारत सरकार के स्तर से प्रयास जारी है।

11. मेरी सरकार ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों तथा 25 (पच्चीस) मेगावॉट तक की जल आधारित विद्युत परियोजनाओं के चिन्हीकरण, निर्माण तथा स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराये जाने के लिये "अक्षय ऊर्जा नीति" प्रख्यापित की है और इसके अन्तर्गत 05 (पांच) मेगावॉट क्षमता तक की परियोजनायें राज्य के निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किये जाने पर विचार कर रही है।

12. राज्य के कुल 15,661 (पन्द्रह हजार छः सौ इकसठ) ग्रामों में से 97 (सत्तानवे) प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अवशेष सभी अविद्युतीकृत ग्रामों एवं विद्युत बाधित ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 2009 तक किये जाने हेतु मेरी सरकार दृढ़ संकल्प है।

13. उत्तराखण्ड राज्य के लिए लागू विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के फलस्वरूप प्रदेश में बड़ी मात्रा में उद्योगों में पूंजी निवेश हो रहा है। इन उद्योगों में राज्य के निवासियों को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार गम्भीरता से प्रयास कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट्स तथा उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

14. विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत उद्योगों में निवेश के 3350 (तीन हजार तीन सौ पचास) से अधिक प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 976 (नौ सौ छियत्तर) लघु, मध्यम तथा बृहद इकाईयां उत्पादन में आ चुकी हैं, जिनमें प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही मेरी सरकार द्वारा दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 घोषित की गई है। इस नीति में अवस्थापना विकास सहित विभिन्न वित्तीय सुविधायें/सहायतायें प्राविधानित की गई हैं।

15. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गों, पर्यटन केन्द्रों में "हिमाद्रि" नाम से एम्पोरियम स्थापित किये जा रहे हैं। जिला स्तरीय हथकरघा प्रदर्शनी एवं नेशनल हैंडलूम एक्सपो आदि के आयोजन भारत सरकार के सौजन्य से किये जा रहे हैं। बुनकरों के सामाजिक कल्याण की योजनायें भी हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

16. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण योजना के अधीन भारत सरकार के सहयोग से हथकरघा क्लस्टरों के रूप में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, डिजाइन सुधार प्रशिक्षण व करघे उपकरणों का क्रय आदि विभिन्न समग्र सहायता व सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान समय में मंगलौर (हरिद्वार) तथा छिनका (चमोली) में भारत सरकार के सहयोग से दो क्लस्टर स्वीकृत किये गये हैं। अन्य क्लस्टरों के लिये भी प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

17. खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों को निरन्तर प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, व्यक्तिगत उद्यमियों को ऋण पर चार प्रतिशत से ऊपर पड़ने वाले ब्याज पर बैंकों को प्रतिपूर्ति किये जाने वाले ब्याज उपादान, गांधी जयन्ती के अवसर पर लगभग दो माह हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट, ऊन बैंक योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ववत् लागू है।

18. हिमालयी क्षेत्र में खनिज भण्डारों की अपार सम्भावनाएं हैं। खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन कर राजस्व एवं रोजगार बढ़ाये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध खनिजों के भण्डारों मुख्यतः चूना, पत्थर, सिलिका सेन्ड, बेस मेटल डिपॉजिट एवं प्लेसर स्वर्ण धातु की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्रोस्पेक्टिंग हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

19. प्रदेश की सत्तर प्रतिशत आबादी व अस्सी प्रतिशत महिलाएं कृषि सम्बन्धी कार्यों से जुड़ी हुई हैं। इसका अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित है, जिसके फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उत्पाद तीन से चार माह के लिए ही उपलब्ध हो पाता है। मेरी सरकार द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन तथा वनों के सुनियोजित उपयोग व प्रबन्धन तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को जन उपयोगी बनाने हेतु जलागम प्रबन्धन एवं विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

20. वर्ष 2008 में 85 (पिचासी) ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत जलागम विकास परियोजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य मेरी सरकार द्वारा रखा गया है।

21. मेरी सरकार राज्य के कृषकों को उनकी उपज का, गांव के निकट ही क्रय-विक्रय का प्रबन्धन करके, उचित मूल्य दिलाने व बाजारी कुरीतियों तथा शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयासरत है।

22. नाबाड द्वारा सहकारी ऋण समितियों को व्यवसाय वृद्धि हेतु राज्य सरकार की सहमति से आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था मेरी सरकार ने की है। मेरी सरकार द्वारा पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी) के मिनी बैंक में जमा निक्षेप के लिये निक्षेप गारन्टी योजना के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

23. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद् हेतु ग्यारह सदस्यीय समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है। मेरी सरकार परिषद् सहकारिता की समीक्षा, सहकारी समितियों के क्रियाकलाप में समन्वय स्थापित करने, सहकारिता के विकास हेतु मार्गदर्शन देने, वर्तमान योजनाओं का मूल्यांकन एवं सहकारी विकास की नई योजनाओं को सुझाने का कार्य करेगी, जिससे पिछड़े वर्ग एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों का विकास हो सके। इस हेतु राज्य में परिषद् का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है।

24. गोबोपन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा विकसित उन्नतशील गन्ना प्रजातियों के साथ-साथ प्रदेश के बाहर से प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल प्रजातियों को कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास मेरी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

25. मेरी सरकार ने लगभग 5364 (पांच हजार तीन सौ चौसठ) हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण, 2200 (दो हजार दो सौ) हेक्टेयर में सब्जी, 300 (तीन सौ) हेक्टेयर क्षेत्र में मसाले, 200 (दो सौ) हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्पों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार किया है।

और सेब एवं अन्य फलों की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका, नीदरलैण्ड तथा थाईलैण्ड से नवीनतम प्रजातियों के पौधे तथा मूलवृन्त आयात किये जाने की व्यवस्था की है।

26. मेरी सरकार द्वारा राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु बागानों की घेरबाड़ कार्यक्रम के लिये कृषकों के प्रक्षेत्रों पर राज सहायता प्रदान करना प्रारम्भ किया गया है।

27. मेरी सरकार ने —

- राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में कृषकों के प्रक्षेत्र से रोड हेड तक औद्यानिक उपजों के ढुलान हेतु 70 (सत्तर) ग्रेविटी बेसड मैटीरियल हैंडलिंग रोप-वे की स्थापना हेतु स्थलों का चयन,
- कृषिकरण से प्राप्त सगंध पादपों के विपणन में कृषकों को तत्काल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने,
- फूलों के क्षेत्र में प्रगति हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने,
- राज्य में स्थापित 285 (दो सौ पिचासी) उद्यान सचल दल केन्द्रों का सुदृढीकरण करने,
- पूर्व में सम्मिलित आदर्श उद्यानों के अतिरिक्त 40 (चालीस) नये राजकीय उद्यान सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

28. मेरी सरकार द्वारा निम्नयोज्य भूमि का सदुपयोग कर 485 (चार सौ पिचासी) हेक्टेयर में चाय बागान स्थापित कर रखरखाव किया जा रहा है। चाय के प्रसंस्करण हेतु कौसानी, चम्पावत, घोड़ाखाल व नौटी में फैक्ट्रियां स्थापित की गयी हैं। इसके साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लघु कृषकों के लिए चाय बागानों के विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत विकास खण्ड बेरीनाग, कपकोट व गरुड़ में योजना प्रारम्भ की गयी है। मेरी सरकार नौटी, घोड़ाखाल एवं चम्पावत चाय बागान के लगभग 200 (दो सौ) हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक चाय के रूप में परिवर्तित कर जैविक खेती का कृषिकरण कर रही है।

29. उत्तराखण्ड में फलों के विपणन हेतु सरकार की सार्थक पहल से बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

30 राज्य में सिल्क पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो रेशम उत्पादन एवं विपणन की दिशा में एक अभिनव प्रयास है।

31 पशुपालन को व्यवसाय के रूप में चला रहे निर्बल वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुक्कुट पालन, बछिया पालन तथा निःशुल्क बकरा, सांड वितरित कराये जाने की योजना मेरी सरकार चला रही है। पशुपालकों के पशुओं के सम्बर्द्धन एवं विकास हेतु वर्तमान में चालू योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों यथा चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, सामूहिक दवापान, कृत्रिम गर्भाधान एवं बांझपन निवारण शिविरों के आयोजन के माध्यम से पशुओं को चिकित्सीय उपचार प्रदान कराए जाने हेतु भी मेरी सरकार प्रयासरत है।

32 इसके अतिरिक्त मेरी सरकार -

- गौमूत्र के औषधिक गुणों के अध्ययन एवं उपयोग हेतु गौ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना,
- प्रदेश में चारे की समुचित उपलब्धता बनाने एवं आपदा के समय पशुओं के लिये चारे की कमी के निपटान,
- राज्य में पशुपालकों को उनके द्वार पर पशुओं को उपचार एवं रोग नियंत्रण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने,
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को दूरस्थ क्षेत्र में संचल वाहनों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने,
- गौ सेवा आयोग एवं गौ सदनों की स्थापना करने, कतिपय पशु चिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा सुविधा तथा पशुओं की पहचान हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेन्टिफिकेशन तकनीकी आदि कार्यक्रमों के संचालन करने,
- राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में उपलब्ध बहुमूल्य पशुधन की गणना करने हेतु भी प्रयासरत है।

33. डेयरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा नगरों, यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थानों एवं अन्य संस्थानों में उत्तम गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये मेरी सरकार ने सहकारिता के माध्यम से डेयरी विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया है। सहकारिता में आधारभूत ढाँचा विकसित करने और आधुनिक संयन्त्र व मशीनरी से सुसज्जित करने हेतु कार्य किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु स्वास्थ्य व पशुपोषण आदि सुविधायें भी मुहैया करायी जा रही हैं।

34. मेरी सरकार ने राज्य में दुग्ध सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत सभी तरह जनपदों को आच्छादित कर लिया है और इस हेतु ग्यारह दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड निबन्धित किये गये हैं। दुग्ध सहकारिता की केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन का भी गठन किया गया है, जो सभी दुग्ध संघों के व्यापार का भी प्रबन्धन करता है।

35. उत्तराखण्ड एक अन्तर्स्थलीय राज्य है, जहाँ मत्स्य पालन की दृष्टि से मूल्यवान जल सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मत्स्य विकास कर इस सम्पदा का समुचित उपयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास में किया जा सकता है। इससे प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में भारी वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन तथा निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किये जाने हेतु मेरी सरकार वचनबद्ध है।

36. ग्रामीण निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार हेतु विभाग द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ-साथ राज्य वित्त पोषित, उत्तराखण्ड स्वरोजगार मिशन, सार्वभौम रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में उक्त स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अधीन चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने एवं उनके आर्थिक स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड, ग्राम्य विकास मंत्रालय, राज्य एवं भारत सरकार के सहयोग से इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दुधारू पशु, सब्जी उत्पादन, ग्रामीण शिल्प तथा कृषि एवं बागवानी आदि परियोजनायें क्रियान्वित की हैं। केन्द्र पोषित राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी

योजना प्रदेश के 05 (पांच) जनपदों में तथा शेष 08 (आठ) जनपदों में सम्पूर्ण रोजगार गारण्टी योजना क्रियान्वित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने में यह कार्यक्रम मील के पत्थर साबित हुए हैं।

37. ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 9585 (नौ हजार पांच सौ पिचासी) आवासीय इकाईयों का निर्माण/उच्चीकरण इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना तथा नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान योजनान्तर्गत किया गया है। नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान योजना वृहद रूप से राज्य में संचालित की जा रही है। दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के आवास विहीन/बी0पी0एल0 परिवारों के लिए 12224 (बारह हजार दो सौ चौबीस) अतिरिक्त आवासों का निर्माण किया जाना है। यह योजना समस्त जनपदों में प्रारम्भ कर दी गयी है।

38. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में 469 (चार सौ उनहत्तर) मार्गों हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। द्वितीय चरण में स्वीकृत 95 (पिचानवे) मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 18 (अट्ठारह) अवशेष कार्यों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण के अवशेष कार्यों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। षष्ठम चरण के अन्तर्गत 79 (उन्नासी) मार्गों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी है।

39. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की तर्ज पर संचालित की जा रही राज्य ग्रामीण स्वरोजगार मिशन के अन्तर्गत अब तक 2222 (दो हजार दो सौ बाइस) समूहों का गठन किया गया है। इस योजना में द्वितीय ग्रेडिंग पास समूहों में से 1311 (एक हजार तीन सौ ग्यारह) समूहों के 9920 (नौ हजार नौ सौ बीस) स्वरोजगारियों को वित्त पोषित कर स्वरोजगार दिया गया है। सार्वभौम रोजगार योजनान्तर्गत 15876 (पन्द्रह हजार आठ सौ छियत्तर) व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को विभिन्न क्रियाकलापों के अन्तर्गत स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है।

40. मेरी सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय भवनों के रूप में पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में इन भवनों में 3261 (तीन हजार दो सौ इकसठ) अतिरिक्त कक्षों का निर्माण भी कराया गया है।

41. मेरी सरकार द्वारा डिपोजिट वर्क्स के रूप में पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग के अनावासीय एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें भूकम्परोधी तकनीक को अपनाये जाने हेतु विशेष बल दिया गया है।

42. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुछ मैदानी क्षेत्र के अतिरिक्त दुर्गम एवं कठिन पहाड़ी क्षेत्र हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त आवश्यक है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। 3,805 (तीन हजार आठ सौ पांच) असेवित एवं 12,247 (बारह हजार दो सौ सैतालिस) आंशिक असेवित बस्तियों को वर्ष 2012 तक पूर्ण सेवित किये जाने का प्रस्ताव है।

43. ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र पोषित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्राविधानित राज्यांश के साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार, राज्य में हैण्ड पम्प के अधिष्ठापन, राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वृहद योजनाओं के निर्माण तथा सलाहकार समिति एवं पेयजल कार्यक्रम के कम्प्यूटरीकरण प्रोजेक्ट हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी है। राज्य सरकार जल स्रोतों के घटते स्त्राव से अत्यन्त चिन्तित है एवं इसको दृष्टिगत रखते हुये जल स्रोतों के सम्वर्द्धन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में समस्याग्रस्त स्थानों पर तात्कालिक समाधान हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 18 (अट्ठारह) हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है।

राज्य के 63 (तिरसठ) नगरों में से 09 (नौ) नगरों में मानकों के अनुसार जलापूर्ति 135 (एक सौ पैंतीस) लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल0पी0सी0डी0) या अधिक मात्रा में उपलब्ध है। 21 (इक्कीस) नगरों में 69 (उनहत्तर) एल0पी0सी0डी0 से अधिक किन्तु 129 (एक सौ उन्नतीस) एल0पी0सी0डी0 से कम तथा शेष में 65 (पैंसठ) एल0पी0सी0डी0 से भी कम मात्रा में जलापूर्ति उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष में 07 (सात) नगरों में पेयजल व्यवस्था के पुनर्गठन/सुदृढीकरण हेतु आवश्यक धनराशि प्रस्तावित की गयी है। राज्य के 20 (बीस) नगरों में आंशिक जलोत्सारण व्यवस्था उपलब्ध है। वर्तमान में बिछायी गयी सीवर लाइनों के अतिरिक्त लगभग 734 (सात सौ चौतीस) कि0मी0 सीवर लाइन बिछाने तथा 90 (नब्बे) शोधन संयंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, जिस पर मेरी सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

45. मेरी सरकार द्वारा 1510 (एक हजार पांच सौ दस) बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया गया, 1044 (एक हजार चौवालिस) हैण्ड पम्प अधिस्थापित किये गये, 185 (एक सौ पिचासी) स्कूलों में पेयजल सुविधा स्थापित की गई, 2861 (दो हजार आठ सौ इकसठ) हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गई, 19 (उन्नीस) नलकूप चालू किये गये एवं 12 (बारह) मिनी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया, 56118 (छप्पन हजार एक सौ अट्ठारह) स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया, 191 (एक सौ इकानवे) दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, 2855 (दो हजार आठ सौ पचपन) जलाशयों की सफाई की गई, 6819 (छः हजार आठ सौ उन्नीस) लीकेज की मरम्मत की गई, गोपेश्वर नगर में नये स्रोत से लगभग 4 (चार) कि0मी0 पाइप लाइन बिछाकर पेयजल संकट से तुरन्त राहत दी गई, चारधाम यात्रा मार्गों पर 215 (दो सौ पन्द्रह) टैंक टाईप जल स्तम्भों, 309 (तीन सौ नौ) पीलर टाईप जल स्तम्भों एवं 292 (दो सौ बयानवे) हैण्ड पम्पों का निर्माण किया गया।

46. भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन नगरों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल, जलोत्सारण एवं जल निकासी सुविधा हेतु प्राथमिकता पर योजनायें तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

47. पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को स्वच्छ रखने के लिए गंगा कार्य योजना तथा प्रथम चरण की परिसम्पत्तियों के रखरखाव आदि हेतु प्राथमिकता पर कार्य किया जा रहा है।

48. राज्य के असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं से आच्छादित करने तथा आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु धनराशि में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। मेरी सरकार जिला योजना के अन्तर्गत लगभग 119 (एक सौ उन्नीस) कि०मी० नहर, नौ नलकूपों तथा दो लघु डाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार करा रही है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई सुविधा की सघनता बढ़ाने एवं कृषि भूमि एवं आबादी की सुरक्षा हेतु प्राथमिकता वाली सिंचाई योजनाएँ/बाढ़ सुरक्षा योजनाएँ गतिमान हैं, जिनके अन्तर्गत वर्तमान में 197 (एक सौ सत्तानवे) नलकूपों का निर्माण, छः नहरों का पुनरोद्धार, चौदह लघु डाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार तथा पाँच बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत 44 (चौवालीस) नलकूप, 42 (बयालीस) नहर निर्माण/पुनरोद्धार की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

49. मेरी सरकार द्वारा नदियों एवं नालों की बाढ़ से हो रहे कृषि भूमि के कटाव एवं आबादी के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। केन्द्र पुरोनिधानित बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा मानकों में शिथिलीकरण करते हुए 90 (नब्बे) प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य की है।

50. योजनाओं को बहुउद्देशीय बनाने हेतु नलकूपों के कमान क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता होने पर सिंचाई नलकूपों के साथ-साथ पेयजल हेतु ओवर हैड टैंक के निर्माण की अनिवार्यता भी की गयी है, जिससे सिंचाई के साथ-साथ समीपवर्ती आबादी को पेयजल से भी संतुष्ट किया जा सके।

51. जमरानी बांध की पुनरीक्षित डी.पी.आर. पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई टिप्पणियों के निराकरण की कार्यवाही गतिमान है। सौग नदी बहुउद्देशीय बांध निर्माण हेतु भी

परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य पूर्ण कर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से अनामति प्राप्त की गई है।

52. प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व की बहुउद्देशीय योजनाओं से प्रभावित शहरी क्षेत्रों के 5291 (पांच हजार दो सौ इकानवे) परिवारों का सफलतापूर्वक समुचित पुनर्वास किया जा चुका है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत 9239 (नौ हजार दो सौ उनतालिस) प्रभावित परिवारों में से विस्थापन हेतु 5187 (पांच हजार एक सौ सतासी) पात्र परिवारों का पुनर्वास भी किया जा चुका है।

53. मेरी सरकार ने जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्रपुरोनिधानित योजनान्तर्गत अद्यतन लगभग 863 (आठ सौ तिरसठ मात्र) कि०मी० गूल, 1221 (एक हजार दो सौ इक्कीस) हौज, इकतीस हाईड्रम, चार आर्टीजन कूप, एक वियर एवं 220 (दो सौ बीस) पम्पसैट का निर्माण कर 8350 (आठ हजार तीन सौ पचास) हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया है और शीघ्र ही 15000 (पन्द्रह हजार) हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन कर कृषि भूमि में उत्पादकता वृद्धि कर कृषकों को अतिरिक्त लाभ दिये जाने की योजना है।

54. लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में मेरी सरकार की नीति के अनुरूप सहभागिता प्रबन्धन प्रक्रिया (पी०आई०एम०) पद्धति लागू की गयी है, जिसमें क्रियान्वित की जा रही समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन जल उपभोक्ता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है। योजनायें, पूर्ण होने के पश्चात् जल उपभोक्ता समूह/ग्राम पंचायतों को उनके संचालन एवं रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित की जा रही हैं। लघु सिंचाई कार्यों की चतुर्थ संगणना का कार्य भी प्रगति पर है।

55. मेरी सरकार ने प्रदेश में रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनाओं जैसे-बांस एवं रिंगाल आदि प्रजातियों का वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाये हैं तथा वानिकी क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबन्ध एवं वन पंचायतों के माध्यम से जन सहमति सुनिश्चित की है।

56. उत्तराखण्ड की जैव विविधता एवं विभिन्न भौगोलिक आकर्षण, इकोटूरिज्म के सन्दर्भ में प्रदेश के लिये महत्वपूर्ण है। अतः वन विभाग के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में

रखने हेतु इकोटूरिज्म को एक मुख्य आय के श्रोत के रूप में बढ़ावा दिया गया है तथा इकोटूरिज्म नामक योजना के अन्तर्गत चूनाखान एवं जोशीमठ आदि स्थानों पर इकोटूरिज्म केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

57. राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत लम्बे समय से बसे 1390 (एक हजार तीन सौ नब्बे) वन गुज्जर परिवारों को पथरी एवं गैण्डीखाता में पुनर्वासित कर उनके सामाजिक स्तर को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विकास सम्बन्धी कार्य प्राथमिकता से किया है।

58. इस वर्ष जंगली जानवरों द्वारा जनता को जानमाल से क्षति पहुँचाने के मुआवजे के अन्तर्गत एक्स-ग्रेशिया की धनराशि विगत वर्ष की तुलना में दुगुनी कर दी गयी है।

59. प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा को अग्नि से बचाने हेतु अन्य योजनाओं के साथ प्रबन्ध सूचना तंत्र तथा आधुनिक अग्नि नियन्त्रण कक्ष GIS यूनिट का गठन किया है, जिसके अन्तर्गत GPS माध्यम से वन अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी अल्प समय के अन्तर्गत प्राप्त कर प्रभावी रोकथाम की जा सकेगी।

60. आरक्षित वनों के अन्तर्गत जल स्रोतों को संरक्षित करने, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों की उत्पादकता बढ़ाने एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बुग्यालों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से नयी योजनाएं क्रमशः "ओक, फर, स्पूस आदि प्रजातियों का पुनरोत्पादन" तथा "बुग्यालों के संरक्षण" शुरू की गयी है।

61. उत्तराखण्ड राज्य, देश में विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल पौधों की उपलब्धता के सम्बन्ध में जाना जाता है। मेडिसिनल पौधों के अनियन्त्रित विदोहन होने के कारण उनमें कमी की सम्भावना को देखते हुए, मेडिसिनल पौधों को वैज्ञानिक तरीके से Rapid Mapping Exercise द्वारा संरक्षित कर, उसकी निरन्तर उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा "वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विकास" (Conservation and development of medicinal plants in forest areas) नामक नयी योजना प्रारम्भ की गयी है। विभिन्न लोक महत्व के

विकास कार्यों हेतु भारत सरकार के स्तर से कुल 351 (तीन सौ इक्कावन) प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने में मेरी सरकार को सफलता मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति की समस्या को देखते हुए, मेरी सरकार ने उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा चिन्हित 221 (दो सौ इक्कीस) सूख रहे/सूख गये जल स्रोतों के रिवार्ज जोन के उपचार का कार्य, जल सन्वर्द्धन मिशन के अन्तर्गत पृथक-पृथक एवं स्थल विशिष्ट योजनायें तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया है। इस कार्य के लिए फील्ड मैनुअल भी तैयार किया जा रहा है।

62. उत्तराखण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजगारपरक बहुमुखी विधाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से सुनियोजित एवं समेकित विकास करते हुए पर्यटन को प्रदेश की आर्थिक व सामाजिक विकास की धुरी के रूप में स्थापित करने हेतु मेरी सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

63. मेरी सरकार ने 796 (सात सौ छियानवे) निर्माणाधीन पर्यटन योजनाओं के सापेक्ष 318 (तीन सौ अट्ठारह) योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है तथा शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 1738 (एक हजार सात सौ अड़तीस) लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत असंगठित लगभग तीन सौ सेवादाताओं (ढाबाकर्मी, होटलकर्मी, पोर्टर्स, कुली आदि) को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

64. मेरी सरकार द्वारा पर्यटन विभाग की टपकेश्वर, गढ़ी कैन्ट की भूमि पर पांच सितारा होटल एवं कन्वेन्शन सेंटर के निर्माण हेतु लीज एग्रीमेंट किया गया है। इस एग्रीमेंट से लगभग रु0 सात करोड़ प्रतिवर्ष की आय प्राप्त होने की सम्भावना है।

65. उत्तराखण्ड में पर्यटन विभाग द्वारा प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सुगम आवागमन हेतु कई रोपवे की परियोजनाओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

66. मेरी सरकार प्रथम सैफ गेम्स, 2009 का आयोजन औली, जिला चमोली एवं देहरादून में कराने जा रही है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाहियाँ की जा रही हैं।

67. उत्तराखण्ड में साहसिक पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से, साहसी बेरोजगार नवयुवकों को प्रशिक्षित करने के लिये जिला योजनान्तर्गत जनपदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिला साहसिक खेल अधिकारियों के माध्यम से संचालित कराया जा रहा है।

68. उत्तराखण्ड राज्य अपने प्राकृतिक दृश्यों, अनुकूल जलवायु तथा भौगोलिक दृष्टि से खेलों के विकास के लिए अत्यन्त ही उपयोगी है। उत्तराखण्ड राज्य में खेलों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। विभिन्न खेलों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु कई लाभकारी योजनाएं मेरी सरकार द्वारा संचालित करायी जा रही हैं।

69. अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत राज्य में दस स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्मित तथा तीन निर्माणधीन हैं, दो तरणताल निर्मित हैं, आठ इंडोरहाल निर्मित एवं दो निर्माणधीन हैं। विशेष प्रशिक्षण शिविर योजना के अन्तर्गत देहरादून में एम.पी. स्पोर्ट्स कॉलेज तथा पिथौरागढ़, देहरादून, कोटद्वार एवं हल्द्वानी में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। मेरी सरकार खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु खेल वातावरण विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

70. राज्य में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत देहरादून स्थित जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। पन्तनगर हवाई अड्डे को कारगो एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना भी गतिमान है।

71. नैनी-सैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ से **ATR type** विमानों के परिचालन हेतु हवाई पट्टी के विस्तारीकरण/उच्चिकरण एवं गौचर, चिन्वालीसौड़, हवाई पट्टियों के विस्तारीकरण का कार्य भी प्रगति पर है एवं प्रत्येक जनपद में एक-एक हैलीपैड के निर्माण की योजना है। देहरादून में एक साथ तीन हैलीकॉप्टर के पार्किंग की सुविधायुक्त हैलीपैड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

72. प्रदेश में सम्पर्क मार्गों के उचित आच्छादन हेतु वार्षिक योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था मेरी सरकार कर रही है। कार्यों के समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पादन हेतु सिविल के दस, राष्ट्रीय राजमार्ग के दो तथा विद्युत/यांत्रिक के एक, इस प्रकार तेरह नये खण्डों की स्थापना करने के साथ-साथ सिंचाई विभाग के भी छः खण्ड, लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध कराए गए हैं तथा "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" तथा एशियन विकास बैंक वित्त पोषित "उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम" से सम्बन्धित कार्यों के समयबद्ध सम्पादन हेतु क्रमशः नौ एवं चार पूर्णकालिक एवं समर्पित खण्डों की व्यवस्था कर दी गई है।

73. मेरी सरकार द्वारा राज्य के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों को समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराने तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता से अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में गति लाने के निमित्त राज्य का अपना एक स्वायत्तशासी निगम "उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम" गठित करने का सैद्धान्तिक निर्णय ले लिया गया है।

74. आधुनिक युग में किसी प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास हेतु सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी सरकार जनता को सरल, सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की ओर सतत् प्रयत्नशील है। इसी उद्देश्य से उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बस बेड़े में 775 (सात सौ पचहत्तर) नई बसें सम्मिलित की गयी हैं, जिनमें हाईटैक, वोल्वो, ए0सी0, नॉन-ए0सी0, स्लीपर बसें भी सम्मिलित की गई हैं।

75. परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, टनकपुर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी एवं ऊधमसिंह नगर में प्रवर्तन दल तैनात किये गये हैं और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये अधिकाधिक स्थानों पर प्रदूषण जांच संयंत्र उपलब्ध कराये गये हैं।

76. मेरी सरकार ने अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यात्रियों को निर्बाध परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार किये जाने की दिशा में सार्थक पहल की है।

77. मेरी सरकार ने प्रथम बार देहरादून के ग्रामीण डिपो में ई-टिकटिंग व्यवस्था लागू की है, जिसके आशातीत परिणाम मिले हैं। इसे अन्य डिपो में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

78. प्रदेश के मानव संसाधन को विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में प्राथमिक विद्यालय में 343 (तीन सौ तैतालिस) सहायक अध्यापक, 343 (तीन सौ तैतालिस) पैरा टीचर्स व 633 (छः सौ तैंतीस) उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक के पद स्वीकृत किये गये हैं और मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत 15497 (पन्द्रह हजार चार सौ सत्तानवे) बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को भोजन माता एवं सहायिका के रूप में नियुक्त किया गया है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जनपद पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार में दो आवासीय विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

79. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व बी0पी0एल0 परिवार की विद्यालय से बाहर रह गयी बालिकाओं के लिए 25 (पच्चीस) कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है, जिनसे 1102 (एक हजार एक सौ दो) बालिकायें लाभान्वित हो रही हैं।

80. शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (सीमैट) की स्थापना की गयी है। शैक्षिक गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु प्रारम्भ किये गये विद्यालय कोटिकरण प्रक्रिया को सम्पूर्ण राष्ट्र में विशिष्ट प्रयास के रूप में सराहा गया है।

81. विद्यालय से बाहर रह गये विशिष्ट समूह यथा कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, सपेरे, अनाथ, अतिनिर्धन तथा घुमन्तु जैसे अपवंचित वर्ग के बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए Public Private Partnership के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के साथ समन्वयन कर वाउचर स्कीम को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचारी (Innovative Scheme) क्रियाकलाप के रूप में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून में लगभग दो सौ तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में 46 (छियालिस) बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

82 उत्तराखण्ड की शिक्षा व्यवस्था को गुणात्मकता प्रदान करने के लिए स्मृति के आधार पर ज्ञान या मूल्यांकन की पद्धतियों से आगे आकर दक्षता आधारित मूल्यांकन की पद्धति की ओर बढ़ना है। प्रदेश के छः जनपदों अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चम्पावत के प्राथमिक विद्यालयों में अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के सहयोग से लर्निंग गारण्टी कार्यक्रम (एल0जी0पी0) संचालित है। राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य साक्षरता अधिकरण की स्थापना की गयी है। बच्चों की पठन दक्षता के विकास के लिए हरिद्वार, टिहरी तथा बागेश्वर में रूम-टू-रीड संस्था के सहयोग से रूम-टू-रीड कार्यक्रम किया गया है। यह कार्यक्रम प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में संचालित है।

83 उत्तराखण्ड राज्य विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में 15058 (पन्द्रह हजार अठ्ठावन) प्राथमिक, 4263 (चार हजार दो सौ तिरसठ) उच्च प्राथमिक, 1031 (एक हजार इकत्तीस) हाईस्कूल एवं 1240 (एक हजार दो सौ चालीस) इण्टरमीडिएट कॉलेज संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें लगभग 23 (तेइस) लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों एवं जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के सभी 13 (तेरह) जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित कराया जा रहा है।

84 राज्य के समस्त राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में कम्प्यूटरों की स्थापना की जा चुकी है। कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए 100 (एक सौ) राजकीय इण्टर कॉलेजों को आई0सी0टी0 योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय के इण्टर कॉलेज को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों का कक्षा अवरोधन ह्रास रोकने एवं शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य मुक्त विद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है।

85 सुदूरवर्ती विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश में 4956 (चार हजार नौ सौ छप्पन) विशिष्ट बी.टी.सी. एवं 4117 (चार हजार एक सौ सत्रह) एल.टी. ग्रेड के पद

पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट बी.टी.सी. के लगभग 564 (पांच सौ चौंसठ) पदों पर पत्राचार से प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

86. बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु तेजस्वी योजना के अंतर्गत निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 8 (आठ) उत्तीर्ण करने एवं कक्षा 9 (नौ) में प्रवेश करने पर इस वर्ष हेतु विशेष अनुदान के रूप में धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

87. मेरी सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए कटिबद्ध है और उच्च शिक्षा की पहुँच में वृद्धि के उद्देश्य से गरुड़ (बागेश्वर) तथा गुप्तकाशी (रुद्रप्रयाग) में नये राजकीय महाविद्यालय स्थापित तथा गुप्तकाशी महाविद्यालय में पारम्परिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ रोजगार कौशल की दृष्टि से व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। 31 (इकतीस) नये राजकीय महाविद्यालयों में संरचनात्मक/ढाँचागत सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी गयी हैं।

88. प्रदेश के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों ऋषिकेश, हल्द्वानी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में राज्य बायोटेक्नोलॉजी कार्यक्रम के अन्तर्गत टिशू कल्चर लैब की स्थापना तथा 12 (बारह) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को राज्य बायोटेक्नोलॉजी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। प्रदेश के 18 (अठ्ठारह) राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों से कम शुल्क पर स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है तथा शासकीय महाविद्यालयों में नवीन पेशेवर पाठ्यक्रमों यथा-एम0बी0ए0 एवं विधि पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

89. हर्ष का विषय है कि प्रदेश को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी की श्रेणी में भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

90. विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 31 (इकत्तीस) मेधावी, योग्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को रु० 20,000/- (बीस हजार) प्रति छात्र की दर से इंजीनियरिंग, मेडिकल, एम. बी.ए. एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 128 (एक सौ अट्ठाइस) शोध छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

91. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित 42 (बयालिस) महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है। इन महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने से इनमें से उत्कृष्ट कोटि के कुछ महाविद्यालयों को डीम्ड महाविद्यालय का दर्जा दिलाने एवं कुछ महाविद्यालयों को ऑटोनोमस महाविद्यालय बनाने में सुविधा प्राप्त होगी।

92. केन्द्र सरकार की योजना सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सी०ओ०ई०) के माध्यम से राज्य में तीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण किया जा रहा है तथा विश्व बैंक सहायतित सी०ओ०ई० योजना के माध्यम से पाँच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढीकरण किये जाने हेतु आई०डी०पी० तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित की गयी हैं। उक्त केन्द्र सहायतित योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार की योजना-1396 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का लोक-निजी सहभागिता के माध्यम से उच्चीकरण कर नौ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं उनके औद्योगिक सहयोगियों को चयन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

93. संस्कृत के बढ़ते महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत भाषा विभाग का अलग से गठन किया गया है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के अतिरिक्त राज्य में पृथक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। संस्कृत शिक्षा के लिए ग्राम भनतौला, जिला बागेश्वर, ग्राम किमौठ, जिला चमोली को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है।

94. मेरी सरकार ने पॉलिटेक्निक संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए प्राविधिक शिक्षा के उन्नयन हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है। प्रदेश में हाईड्रोपावर के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए आई०आई०टी० रुड़की के सहयोग से पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाना प्रस्तावित

है। प्रदेश में तीन शासकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित है। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम परियोजना संचालित है।

95. मेरी सरकार ने रचनात्मक प्रगति एवं साम्प्रदायिक भेदभाव रहित युवा स्वयंसेवकों का एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में आत्मबल एवं साम्प्रदायिक मेलजोल बढ़े और आत्म-सुरक्षा, आत्म-निर्भरता, अनुशासन तथा अपराधों की रोकथाम करने का भाव उभर सके तथा पारस्परिक सहयोग की भावना प्रबल हो।

96. राज्य के विभिन्न स्थानों पर कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का आधुनिकीकरण करते हुए उनमें विशिष्ट सुविधायें प्रदान की जा रही हैं एवं उनको First Referral Unit (FRU) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- राज्य के दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सुविधायें सुलभ करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में दो मोबाइल वैन सुलभ कराये जा रहे हैं, जिसमें डाक्टर, डाइग्नोस्टिक उपकरण एवं फर्स्ट ऐड किट्स दिये जायेंगे।
- मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण अंचलों में पहुँचाने के उद्देश्य से वाउचर पर आधारित सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।
- राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को दूरस्थ स्थानों पर पहुँचाने के उद्देश्य से ए.एन.एम. के ट्रेनिंग सेन्टर्स स्थापित किये जा रहे हैं।
- स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्णरूप से राज्य कर्मचारियों को सुलभ कराने के उद्देश्य से स्मार्ट कार्ड पर आधारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति की योजना लागू की जा रही है।
- मेरी सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी।
- राज्य में चिकित्सा संबंधी परिवहन व्यवस्था में भी मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है एवं शीघ्र ही आपातकालीन परिवहन व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगी।

- सुदूर क्षेत्रों में समय से औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए Logistic Supply Management System लागू किया जा रहा है।
- जिला अस्पतालों के अतिरिक्त राज्य के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष विंग की स्थापना की जायेगी।
- प्रत्येक जनपद में अधिकतम शैय्या उपयोगिता दर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिन्हीकृत करते हुए, उनमें 20 (बीस) शैय्या की विंग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु जोड़े जायेंगे।
- देहरादून में 200 (दो सौ) शैय्या वाले अति आधुनिक महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र का शिलान्यास मेरी सरकार द्वारा किया जा चुका है, जिसमें एम्स तथा पी.जी.आई., चण्डीगढ़ के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

97. उत्तराखण्ड में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य में इस समय 518 (पांच सौ अठ्ठास) आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय कार्यरत हैं। राज्यान्तर्गत उक्त चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से पंचकर्म क्षारसूत्र की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक जनपद में कम से कम एक-एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उक्त सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना की जा चुकी है। 34 (चौत्तिस) आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 19 (उन्नीस) चिकित्सालयों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

98. इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों की सेवाओं को विशिष्ट बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय प्रोन्नति प्रदान की गयी है, 19 (उन्नीस) राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक एवं ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने

हेतु 182 (एक सौ बयासी) आयुर्वेदिक चिकित्सकों की तैनाती की गई है, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार में शल्य विभाग के भवन का निर्माण किया गया है।

99. मेरी सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है कि राज्य के नागरिकों को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर की उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जायें। अतः राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, ग्रामीण एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में जनसामान्य को प्राथमिक स्तर की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्रामीण चिकित्सा व स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं मानव संसाधन की कमी को दृष्टिगत रखते हुए, दुर्गम, असेवित व दूरस्थ क्षेत्रों में सार्वजनिक व निजी सहभागिता से संचालित मोबाइल चिकित्सालयों के अतिरिक्त निर्धारित मार्गों पर ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। मातृ शिशु कल्याण सेवाओं के विस्तार का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधाओं के विस्तारीकरण एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु राज्य के सभी महिला चिकित्सालयों में नियोनेटल यूनिट की स्थापना को सुदृढ़ किया जा रहा है।

100. वर्तमान में राज्य के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में निजी चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा/निदान केन्द्र स्थापित करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाये।

101. राष्ट्रीय राजमार्गों/यात्रा मार्गों पर प्रत्येक 50 (पचास) कि.मी. पर स्थित चिकित्सालयों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन करते हुए चरणबद्ध रूप से ट्रॉमा सेंटर की स्थापना प्रगति पर है।

102. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को प्रारम्भ करने हेतु एम0सी0आई0 के मानकों के अनुसार फैकल्टी तथा अन्य पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है।

103. सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा-परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि का सफलता पूर्वक प्रभावी ढंग से तीनों स्तरों पर संचालन किया जा रहा है।

104. राज्य में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 22 (बाइस) परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र (वीसीटीसी) तथा संक्रमित गर्भवती माताओं से नवजात शिशु में होने वाले संक्रमण को रोकने के लिये 07 (सात) पीपीटीसीटी केन्द्र (Prevention from Parent to Child Transmission of HIV) की स्थापना मेरी सरकार द्वारा की जा चुकी है।

105. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव, जिसकी आबादी 1000 (एक हजार) है, में 'आशा' (सामाजिक कार्यकर्ता) रखने की व्यवस्था की गई है एवं अब तक लगभग 9500 (नौ हजार पांच सौ) 'आशा' का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

106. अच्छी स्वास्थ्य सुविधा को बनाये रखने के लिये अन्य विभागों (पेयजल, आईसीडीएस, पंचायत राज) से समन्वय स्थापित करने की योजना प्रगति पर है। मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये राज्य में 'जननी सुरक्षा योजना' कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

107. मेरी सरकार द्वारा रवीत गाँव श्रीनगर में एक मिनी हेल्थ सिटी की स्थापना की जा रही है जिसमें डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं एड-ऑन सर्विसेज समाहित होंगी।

108. भारतीय संविधान में उपबन्धित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों को विशेष रूप से संरक्षित करने के प्राविधान हैं। मेरी सरकार संविधान की मन्शा के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, स्वच्छकारों एवं समाज के सभी दलित और कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध है, एवं-

- प्रख्यात परम्परागत हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने एवं शिल्प आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु शिल्पी ग्राम योजना का संचालन,
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन,
- अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान,
- अल्पसंख्यक वर्गों के आर्थिक उत्थान हेतु उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन,
- मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त मदरसों में आधुनिक विषय, यथा—विज्ञान, गणित आदि विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतन हेतु अनुदान,
- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी योजनायें संचालित करने,
- पेंशन योजनाओं को सार्वभौमिक किये जाने,
- गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी परिवारों की बालिकाओं को शैक्षिक प्रोत्साहन देने, एवं
- सभी बी0पी0एल0 परिवारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रदेश में जनश्री बीमा योजना का क्रियान्वयन करने हेतु, मेरी सरकार वचनबद्ध है।

109. मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए 22 (बाइस) आश्रम पद्धति विद्यालय, 6 (छः) आई.टी.आई. एवं 22 (बाइस) छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिविल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है।

110. मेरी सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं को सार्वभौमिक कर दिया गया है। अब सभी पात्र निःशक्त जनों, निराश्रित विधवाओं एवं वृद्धजनों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 29,157 (उन्तीस हजार एक सौ सत्तावन) निःशक्त

जनों को लाभान्वित किया गया है एवं निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु व्यवस्था के साथ ही 64,994 (चौंसठ हजार नौ सौ चौरानवे) पेंशनरों को पेंशन धनराशि का भुगतान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 1(एक) लाख वृद्धजनों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 82,908 (बयासी हजार नौ सौ आठ) वृद्धजनों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा चुका है एवं अब पेंशन के फॉर्म का भी सरलीकरण कर दिया गया है।

111. मेरी सरकार द्वारा -

- राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 5 (पांच) प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण,
- पूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निकों में क्रमशः 2 (दो) व 3 (तीन) प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण,
- पूर्व सैनिकों को सेवायोजित/पुनर्वासित करने हेतु 'पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) की स्थापना तथा उसके द्वारा विभिन्न संस्थानों/उपक्रमों में 5720 (पांच हजार सात सौ बीस) पूर्व सैनिकों/आश्रितों को सेवायोजित करना,
- सैनिक कल्याण विभाग में रोजगार हेतु पंजीकृत 10954 (दस हजार नौ सौ चव्वन) पूर्व सैनिकों के सापेक्ष 1567 (एक हजार पांच सौ सड़सठ) पूर्व सैनिकों को सेवायोजित करना,
- 144 (एक सौ चवालिस) सैनिकों को विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृत करना,
- विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये ऋणों के सापेक्ष अभी तक 91 (इकानवे) पूर्व सैनिकों को ब्याज की सब्सिडी दिलाया जाना,
- पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सेना/पुलिस बल में भर्ती तथा अन्य विषयों हेतु पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना,
- वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को देय अनुदान राशि में प्रभावी बढ़ोत्तरी किया जाना,
- विभिन्न युद्धों/सीमान्त झड़पों में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/युद्ध अपंग सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता दिया जाना,
- इको टास्क फोर्स की चार अतिरिक्त कम्पनियों का गठन किया जाना,
- निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के भवन का निर्माण कार्य कालीदास रोड, देहरादून पर गतिमान,

- जय जवान आवास योजना के अन्तर्गत जे.सी.ओज. एवं ओ.आर. के लिये आवासीय भवनों हेतु देहरादून में 15 (पन्द्रह) एकड़, कोटद्वार में 05 (पांच) एकड़ एवं हल्द्वानी में 03 (तीन) एकड़ भूमि ए.डब्ल्यू.एच.ओ. को आवंटित किया जाना प्रस्तावित, एवं
- प्रदेश में 14 (चौदह) नये ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लिनिक खोला जाना प्रस्तावित, किया गया है।

112. मेरी सरकार ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने, महिलाओं व किशोरियों में खून की कमी को दूर करने के लिये, आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं सुपोषण के कार्यक्रम चलाये हैं। बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति रोकने के लिये शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा—

- राज्य में नवीन 1872 (एक हजार आठ सौ बहत्तर) आंगनबाड़ी केन्द्र व 2676 (दो हजार छः सौ छियत्तर) मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नई कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की नियुक्तियाँ की गई हैं,
- आई.सी.डी.एस. का सिटीजन चार्टर जारी किया गया है,
- राज्य में 99 (निन्यानवे) परियोजनाओं के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. द्वारा लगभग पांच लाख जन्म से छः वर्ष के बच्चों व एक लाख से अधिक महिलाओं (गर्भवती व धात्री) को लाभान्वित किया गया है,
- आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार के रूप में इंडियामिक्स व बिस्किट पोषक तत्वों सहित लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है,
- सूक्ष्मपोषकतत्व कुपोषण से बचाव हेतु आई.सी.डी.एस. के समस्त लाभार्थियों को डबल फोर्टीफाईड नमक (आयरन तथा आयोडीन युक्त) दिया जा रहा है,
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत 230 (दो सौ तीस) आंगनबाड़ी केन्द्र (अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में) चयनित करते हुए सुपोषण परियोजना प्रारम्भ की गई है,

- अनुसूचित जाति उपयोजना में 200 (दो सौ) आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है,
- अब तक बालिका समृद्धि योजना में कुल लगभग अड़तीस हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

113. प्रदेश के पाँच जनपदों टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, एवं बागेश्वर के सत्रह विकास खण्डों में लगभग तैतालिस हजार परिवारों की आजीविका सम्वर्द्धन हेतु बाह्य सहायतित परियोजना "हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना" के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में विशेषकर महिलाओं के कार्यबोझ में कमी लाने हेतु मेरी सरकार प्रयासरत है। परियोजना के प्रारम्भिक चरण में उत्सावर्द्धक प्रगति के अनुरूप आईफैंड द्वारा दो वर्ष के लिये 105 (एक सौ पांच) मडुआ थ्रेशर, 20 (बीस) गेहूँ थ्रेशर, के प्रदर्शन हेतु स्वीकृति की गयी है। महिला कार्य बोझ में कमी लाने हेतु उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजनान्तर्गत उन्नत चारा-घासों का रोपण जनपद बागेश्वर एवं उत्तरकाशी में प्रगति पर है।

114. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करने एवं महिला मंगल दलों के गठन में सहयोग प्रदान करने हेतु क्षेत्र स्तर पर तैनात महिला संगठिकाओं को मानदेय पर तैनात किया गया है। प्रत्येक पंचायत में युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल का गठन किया जा रहा है, जिससे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुँचाने में मदद प्राप्त होगी।

115. सेवायोजन कार्यालय/शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण एवं सुदृढीकरण की कार्यवाही की जा रही है तथा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में स्टेट रिसोर्स सेन्टर की स्थापना भी की जा रही है। इस प्रकार उत्तराखण्ड के समस्त सेवायोजन कार्यालयों/कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों का सुदृढीकरण/नेटवर्किंग कार्य सुदृढ व्यवस्था हेतु विकसित किया जा रहा है।

116. उत्तराखण्ड में मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करने हेतु औद्योगिक विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्कृति विकसित करना, उत्पादन क्षेत्र के साथ साथ जनहित सेवा प्रदाय संस्थानों में कार्य संस्कृति और कौशल विकसित करना, न्यूनतम श्रम मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करना, बाल/बंधुवा श्रम की सामाजिक बुराई की रोकथाम की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करना, महिला श्रमिकों को शोषण से बचाना, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, संबंधित श्रोतों से सुझाव आमंत्रित कर श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा के कानूनों को युक्तिसंगत और सरल बनाना तथा निरीक्षण व्यवस्था को सुखकर एवं पारदर्शी बनाना, प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ संगठित/असंगठित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एवं श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनायें तैयार कर उन्हें कार्यान्वयन करना आदि मेरी सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित हैं।

117. मेरी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से विधिसम्मत व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों की रोकथाम एवं अपराधों का शीघ्र अनावरण करने तथा आंतरिक सुरक्षा की सुखद स्थिति बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद पुलिस बल को सुदृढ़ करने के बहुआयामी प्रयास किये गये हैं और विगत एक वर्ष में विधि के प्रति सम्मान स्थापित कर अपराधियों एवं अपराधों पर नियंत्रण रखने तथा सामाजिक कल्याण, न्याय, समरसता, सदभावना एवं एकता बनाये रखने में सफल रही है।

118. मेरी सरकार द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था के नियन्त्रण हेतु हर संभव प्रयास किये गये हैं। जहाँ एक और सामान्य जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं, वहीं दूसरी तरफ आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है। सीमावर्ती जनपदों में पुलिस प्रमुखों के समन्वय से संयुक्त पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं गश्त की व्यवस्था की गयी है। ग्रामों एवं बस्तियों में सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन कर उन्हें सक्रिय किया गया है। राज्य के बाहर से आये फेरी-फड़ लगाने वाले, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, आदि में से संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका सत्यापन किया जा रहा है तथा जघन्य व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य स्तर पर विशेष टास्क फोर्स तथा जिला स्तर पर एसओजी (Special Operation Group) का गठन किया गया है। मेरी सरकार के इन प्रयासों से अपराधों में कमी आयी है और कानून-व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है।

119. राज्य में अभिसूचना एकत्रित करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि सम्भाव्य घटनाओं को घटित होने से पूर्व ही रोक लिया जाए। मेरी सरकार द्वारा अभिसूचना से संबंधित पुलिस कार्मिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर उन्हें अपराधों की विवेचना एवं उनके विश्लेषण में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि समाज एवं राष्ट्र विरोधी कृत्यों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके।

120. मेरी सरकार द्वारा पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों तथा सुशासन एवं मानवाधिकारों के दृष्टिगत पुलिस को दक्ष, व्यावसायिक, प्रभावी, जवाबदेह और जनता की मित्र पुलिस बनाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में पुलिस सुधार के क्षेत्र में विशेष प्राविधान रखे गए हैं, ताकि जनसामान्य में कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास, सम्मान एवं सहभागिता बनी रहे, साथ ही साथ पुलिस बलों को अपने दायित्वों के निष्पक्ष निर्वहन हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

121. पुलिस संचार व्यवस्थाओं के गुणात्मक प्रसार तथा संचार नेटवर्क का सुदृढीकरण, अभिसूचना संकलन, आपराधिक मामलों की समुचित विवेचना एवं न्यायालयों में अभियोजन के क्षेत्रों में अपेक्षित मापदण्ड प्राप्त करने की कार्यवाही के साथ होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा जैसे स्वयं-सेवकों को प्रभावी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक जनपद में एक कारागार की स्थापना किए जाने का प्रयास तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं का सुदृढीकरण किया जा रहा है। इस हेतु विचाराधीन एवं दोषसिद्ध बन्दियों के हितार्थ मानवीय मूल्यों के दृष्टिगत बन्दी सुधार कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान करने के प्रयास मेरी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।

122. राजस्व पुलिस व्यवस्था स्वयं में एक अद्वितीय व्यवस्था है। इसके आधुनिकीकरण हेतु मेरी सरकार वचनबद्ध है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था के लिये ग्राम प्रहरियों की व्यवस्था की गई है।

123. राज्य में न्यायिक अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से जिला नैनीताल के भवाली नगर में हाल ही में निर्मित उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में प्रशिक्षण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार -

- जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर एवं नरेन्द्रनगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रही है, और -
- कोटद्वार, रुडकी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर तथा रुद्रप्रयाग में न्यायालय भवनों का निर्माण कार्य एवं गोपेश्वर, उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग में न्यायिक अधिकारियों के आवास का निर्माण कार्य गतिमान है।
- राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालतों के माध्यम सेवादों के निपटारे में उल्लेखनीय प्रगति की जा रही है। राज्य की जनता को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के आशय से भारत सरकार द्वारा स्थापित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में निर्दिष्ट लगभग सत्तर हजारवादों में से लगभग पैंसठ हजारवादों का निस्तारण किया जा चुका है।

124. उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भू-भाग पर्वतीय होने के फलस्वरूप दैवी आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा राहत कोष की स्थापना की गई है। मेरी सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अनुपालन में मा० मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं सभी जनपदों हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

125. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना तथा केन्द्र को वी-सैट प्रणाली के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, मौसम विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा देश के 22 (बाइस) राज्यों से जोड़ने के साथ-साथ पुलिस वायरलेस सैट से जोड़ा गया है।

126. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-आपदा जोखिम परियोजना के अन्तर्गत पाँच जनपदों यथा-पौड़ी, अल्मोड़ा, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

127. राज्य अधिनियम के अनुपालन में अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किये जाने हेतु विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनायी जा रही है, जिसमें विभिन्न आपदाओं के प्रति राज्य की घातकता, विभागीय कार्यक्रमों के अंतर्गत आपदा रोकथाम/न्यूनीकरण रणनीति का समावेश, आपदा की स्थिति में विभागीय भूमिका का उत्तरदायित्व एवं उनका निर्वहन, चिन्हित दायित्वों के निर्वहन हेतु विभागीय कार्मिकों की क्षमता विकास, प्रशिक्षण एवं पूर्व तैयारी की योजना के साथ-साथ कार्य योजनाओं के नियमित पुनरीक्षण एवं उच्चीकरण आदि के संबंध में विचार किया जाना प्रस्तावित है।

128. भारत सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मद, मानकों एवं मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए, दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु समस्त जिलाधिकारियों को लघु कार्य योजनाएं स्वीकृत करने हेतु प्रतिनिधानित किया जाना प्रस्तावित है।

129. आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मानकों में स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था न होने के कारण एक अलग पुनर्वास नीति बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रभावित ग्रामों का जी.एस. आई. से सर्वेक्षण कराकर प्रभावितों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु उपयुक्त भूमि की तलाश की कार्यवाही गतिमान है।

130. दैवी आपदाओं के प्रति जागरूकता लाने हेतु कलरिंग बुक (Colouring book) एवं पोस्टरों को वितरित किया जा रहा है और समय-समय पर सेमिनार भी आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं तथा मा0 प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत उपचार एवं स्थिरीकरण कार्य, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार सम्पन्न किया जा रहा है। प्रभावित व्यक्तियों के लिये राहत कार्य, प्रभावित ग्रामों का पुनर्वास तथा विभिन्न विभागों की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य भी केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत कराये जाने प्रस्तावित हैं।

131. मेरी सरकार द्वारा मन्सा देवी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र (जनपद-हरिद्वार) में शीघ्र सुदृढीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

132. मेरी सरकार ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चीनी, मिट्टी तेल की आपूर्ति आवश्यकतानुसार सुधारने के लिये दृढ़ संकल्प है और खाद्यान्न के संग्रहण हेतु गोदामों का निर्माण/सम्बर्द्धन करने हेतु प्रयासरत है।

133. मेरी सरकार ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण-सम्बर्द्धन एवं उसके सर्वांगीण विकास हेतु वचनबद्ध है और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख-रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास तथा इनका प्रचार-प्रसार, प्राचीन पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण तथा इनका अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों को संग्रहित कर उनका संरक्षण तथा उत्तराखण्ड की पौराणिक सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना आदि महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन कर रही है।

134. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में मीडिया की भूमिका उल्लेखनीय रही थी। लघु समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा था। इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार मीडिया के हितों को संरक्षण प्रदान कर रही है। पत्रकारों के कल्याण पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों की सहायता के लिए पत्रकार कल्याण हेतु कारपस फंड बनाया है एवं लघु एवं मझोले समाचार पत्र/पत्रिकाओं को प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे छोटे एवं मझोले समाचार पत्रों को और अधिक बल मिलेगा।

135. जिला स्तर पर प्रेस क्लबों की स्थापना पर भी सरकार ने प्राथमिकता से ध्यान देकर इस निमित्त धनराशि का प्राविधान किया है। श्रमजीवी पत्रकारों को अनुमन्य चिकित्सा सुविधा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अलग से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

136. सूचना तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने और सूचना नीति के निर्धारण के लिए भी प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है।

137. सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु विभाग द्वारा साप्ताहिक न्यूज मैगजीन प्रसारित करायी जा रही है। विभिन्न

प्रकाशनों के माध्यम से सरकार की नीतियों/संकल्पों/प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है।

138. प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार एवं जनता के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी संचार के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। पत्रकार हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश मीडिया सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

139. मेरी सरकार स्थानीय निकायों में अवस्थापना विकास की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने और सामुदायिक भवनों के निर्माण, पार्किंग एवं सड़कों के सुधार के कार्य करा रही है। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग के माध्यम से सफाई, ड्रेनेज, पथ प्रकाश के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

140. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत चयनित शहरों में शहरी मलिन बस्तियों के सुधार एवं गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है और इस योजनान्तर्गत चयनित नगरों को छोड़कर अन्य शहरों की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु भी कार्यवाही प्रगति पर है।

141. सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण व सम्वर्द्धन करने के उद्देश्य से तथा जन-जागरूकता के प्रसार हेतु विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोक-कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इसके लिए विभाग ने विभिन्न सांस्कृतिक दलों को पंजीकृत किया है।

142. उत्तराखण्ड की गौरवमयी लोक पारम्परिक सांस्कृतिक विरासत भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना अलग स्थान रखती है। पवित्र गंगा-यमुना के उद्गम स्थल ए मनीषियों-ऋषियों की तपस्थली, वेद पुराणों के रचना केन्द्र देवभूमि के नाम से ख्यातिप्राप्त इन क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। धर्म और दर्शन के साथ-साथ यहाँ के साहित्य, कला ए संस्कृति से जुड़े हर पहलू ने भी सहस्रों वर्षों से भारतीय संस्कृति को परिष्कृत किया है।

143. मेरे द्वारा मेरी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधिगण राज्य में प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करेंगे और विचार-विमर्श से इस सदन को गौरवान्वित करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी आपसी सहयोग से राज्य की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल होंगे। मैं आपको इन सद्प्रयासों के लिये शुभकामनाएं देता हूँ।

जयहिन्द।